सं. ए-12015/19/2017-स्थापना./पीएच
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
पीएच प्रभाग
......

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 20.08.2018

सूचना

इस मंत्रालय द्वारा एनसीडीसी में प्रधान लिपिक के पद हेतु भर्ती नियमों के संशोधन के प्रस्ताव की जांच की जा रही है। इस संबंध में, प्रारूप भर्ती नियम तैयार किए गए थे तथा इनको संयुक्त सचिव (जन स्वास्थ्य) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है।

प्रस्ताव को संबंधित एजेंसियों को भेजने से पहले, इस मामले में सभी स्टेक होल्डर्स से टिप्पणियां, यदि कोई हों, आमंत्रित की जाती हैं। अधोहस्ताक्षरी को टिप्पणियां कमरा नं. 521 'ए', निर्माण भवन, नई दिल्ली –110011 में दिनांक 25.09.2018 तक भेज दी जाएं और सॉफ्ट कॉपी ajaya59@gmail.com पर भेजी जाए।

संलग्नक : यथोक्त

(अजय कुमार के.पी.)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23061342

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली
तारीख: 2018

सां.का.नियम.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान दिल्ली (समूह – 'ग' पद) के भर्ती नियम, 1978 का अतिक्रमण करते हुए, जहां तक ये **प्रधान लिपिक** के पद से संबंधित हैं, जो ऐसे अतिक्रमण से पहले किए गए अथवा लोप किए गए हैं, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, 22-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054 में **प्रधान लिपिक** के पद की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-
   (i) इन नियमों को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, 22-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054 **(प्रधान लिपिक)** भर्ती नियम, 2018, का कहा जाएगा)।
   (ii) ये राजपत्र के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आवेदन- ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विर्निदिष्ट अनुसार पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :- उक्त पदों की संख्या, उससे संबद्ध वेतनमान उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि:- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले वे होंगे जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

   परंतु यह भी सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुपालन में अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को छूट दी जा सकती है।

5. निरर्हता:– वह व्यक्ति
   (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
   (ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह का संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

   परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाना है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति:- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण; आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन या अचयन पद**	**सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा**
1	2	3	4	5	6
प्रधान लिपिक	**2*(2018)** *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह-‘ख’ अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल– 6 (35400-112400 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रौन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परीवीक्षा को अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को प्रतिशतता**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
लागू नहीं होता।	जी नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, अन्यथा हस्तांतरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर	प्रोन्नति द्वारा:- उच्च श्रेणी लिपिक, लेखाकार तथा स्टोर कीपर, जिन्होने इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार के तहत न्यूनतम 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर अथवा सदृश्य पद पर (सामान्य परिस्थितियों में प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	समूह ‘ख’ की प्रोन्नति और/अथवा स्थायी करने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति 1) अपर निदेशक के रैंक का अधिकारी, एनसीडीसी दिल्ली - एक 2) संयुक्त निदेशक के रैंक का अधिकारी, एनसीडीसी, दिल्ली - एक 3) डीजीएचएस से उप-निदेशक (प्रशासन) अथवा उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी - एक 4) दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित एनवीबीडीसीडी अथवा डीजीएचएस के तहत अन्य किसी संस्थान के संयुक्त निदेशक - एक 5) सहायक निदेशक (प्रशासन)/प्रशासनिक अधिकारी एनसीडीसी दिल्ली - एक	लागू नहीं होता